भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5342
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल के लिए एडीबी और सरकार के बीच ऋण समझौता

5342. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार लाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और सरकार के बीच किसी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समझौते के तहत कितनी ऋण राशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): जी, हाँ। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ''हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना'' के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीबी से 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाहरी सहायता के साथ 16 अगस्त, 2022 को परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे और ऋण चुकौती की अंतिम तिथि 30 जून, 2028 है। परियोजना की कुल लागत 139.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 620,000 लोगों को सुरक्षित, टिकाऊ, लिंग-प्रतिक्रियात्मक (जेंडर-रिस्पांसिव) और समावेशी ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना में मौजूदा ग्रामीण जल योजनाओं का उन्नयन किया जाएगा और नई निर्मित तथा बहाल की गई जल आपूर्ति परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट जल प्रबंधन व्यवहारों को कार्यान्वित भी किया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना एक जिले में एक समावेशी स्वच्छता कार्यक्रम का प्रायोगिक संचालन करेगी ताकि मलीय गाद का इसके निपटान से पहले सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

*****